**अपील रसद संख्या 6/2017 अनवानी नरेशकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल निवासी हाण्डा कोलोनी, 22 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम स्टेट आफ राज0 जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**30.10.2017**

अपीलार्थी श्री नरेशकुमार स्वयं उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेशकुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। अपीलार्थी श्री नरेशकुमार द्वारा प्रा0 पत्र के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 18. 10.12017 की फौटो प्रति मय अन्य आवेदन पत्रों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री नरेशकुमार का कथन है कि वह ग्राम पंचायत 22 पी.एस. की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञापत्रधारी है और उसका उक्त अनुज्ञापत्र जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.05.2017 के द्वारा 60 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है जबकि उसके द्वारा किसी प्रकार से राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो की अवहेलना नही की गयी है। उक्त राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत अधिकतम 90 दिवस के लिए ही निलम्बित किया जा सकता है जो उक्त अवधि कानूनन समाप्त हो चुकी है और इसके पश्चात उसका अनुज्ञापत्र लगातार निलम्बित रखा हुआ है जो किसी प्रकार से विधि सम्मत नही है। अपने कथन के समर्थन में खाद्य एवं नागरिक आपूति विभाग राज0 सरकार जयपुर के आदेश दिनांक 18.10.2017 की फोटो प्रति पेश की। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर उसका उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे और कार्य करने की अनुमति दी जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी का उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र दिनांक 16.5.17 को राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो को उल्लंघन करने पर उसका अनुज्ञापत्र 60 दिवस के लिए निलम्बित किया जाकर उसे आवंटित क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य करने हेतु उचित मूल्य दुकानदार श्री अशोक कुमार ग्राम पंचायत 66 आरबी को सौंपा गया। दिनांक 16.05.17 को अपीलार्थी को तारीख पेशी 06.06.17 के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 01.08.17 को अपीलार्थी की दुकान का प्रवर्तन स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया और उसके पश्चात जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी और जांच कमेटी की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना रायसिंहनगर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 468, 471, 406 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 0358 दिनांक 09.09.17 दर्ज करवाई गई है। चूंकि अभी तक अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त एफआईआर के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है इसलिए उक्त कार्यवाही के लंबित रहते अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 16.05.17 के द्वारा श्री नरेशकुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत 22 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन पाये पर उसका प्राधिकार पत्र 60 दिवस के लिए निलम्बित किया जाकर उसके आवंटित क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य करने हेतु उचित मूल्य दुकानदार अशोककुमार ग्राम पंचायत 66 आरबी तहसील रायसिंहनगर को अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया है, की अप्रसन्नता से यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। उक्त आदेश 16.05.17 के विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 04.07.17 को अपना अनुज्ञापत्र बहाल करने के लिए एक प्रा0 पत्र जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत किया जिस पर भी उनके द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने के कारण दिनांक 04.09.17 को पुनः प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है विभाग द्वारा अपील अन्दर मियाद मानने में कोई आपति नही की है। इसलिए अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलार्थी का कथन कि उसका अनुज्ञापत्र 60 दिन के लिए निलम्बित किया गया था और नियमानुसार उसे 90 दिन से अधिक अवधि के लिए निलम्बित नही रखा जा सकता। इसलिए उसका अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नरेशकुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत 22 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन पाये पर उसका प्राधिकार पत्र 60 दिवस के लिए निलम्बित किया जाकर उसके आवंटित क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य करने हेतु उचित मूल्य दुकानदार अशोककुमार ग्राम पंचायत 66 आरबी तहसील रायसिंहनगर को अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 8(2) के अनुसार किसी उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उसके द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी शर्त या उपबन्ध का उल्लंघन करने पर उसका अनुज्ञापत्र 90 दिवस तक निलम्बित किया जा सकता है किन्तु अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र दिनांक 16.05.17 के आदेश से 60 दिवस के लिए निलम्बित किया गया था इस प्रकार उक्त 60 दिवस की निलम्बन अवधि व अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी निलम्बन अवधि 90 दिवस समाप्त हो चुकी है। इसलिए अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र के निलम्बन को इस आधार पर अनिर्णित स्थिति में नही रखा जा सकता कि उसके विरूद्ध विभाग द्वारा पुलिस थाना रायसिंहनगर में अपराधिक एफआईआर संख्या 0358 दिनांक 09.09.017 दर्ज करवाई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी को उसके अनुज्ञापत्र के संबंध में सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

( ज्ञाना राम )

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर